

12/10/17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त धीरेन्द्र अनु०। उसकी ओर से व शेष अभियुक्तगण सहित
अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव।

अनुपस्थित आरोपी का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत वीरेन्द्र एवं भूपेन्द्र उपस्थित।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में
रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण
रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक
उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित
मध्यस्थ सश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

धूपेन्द्र कुमार

Manoj Kumar
Indra Kumar

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः
सांख्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
मिशन पदार्थ

X Date of
Order or
Proceeding

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gondal dist. Bhind. (M.D. 7)

अतः राजीनामा बाद तत्सदीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अमियुक्तगण को धारा 294, 325/34, 323/34 एवं 506 भाग-द्वितीय भाग 0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अमियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।

जुलै २०१५

निमि गिरी अ.

P. C. Gupta

मुक्त
एस०
द्वारा

Gobind Jeeb Mund

05/01/2020

07314519

दिनांक 01/2/21

<p>Date of Order or Proceeding</p>	<p>Order or proceeding with Signature of Presiding Officer</p>	<p>Under Plead necessary</p>
	<p>प्रकरण में कोई संपत्ति जब नहीं। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p> <p>(A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gollad distt. Btmd (M.P.)</p>	<p>म.पेन्द्रसिंह निरस्त S. dant...</p>